

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई - एनयूएलएम) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी दावा

1. बैंक का नाम :

तिमाही के अंत में डीएवाई - एनयूएलएम के अंतर्गत एसईपी-1, एसईपी-जी और एसएचजी को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उधार पर ब्याज सब्सिडी दावों का प्रस्तुतीकरण (आंकड़े रुपए में) :

हम एतद्वारा निम्नलिखित ग्राहक खाता संख्याओं को नीचे दिए गए ब्योरों के अनुसार स्वीकृत वित्तीय सहायता के संबंध में ----- खातों को समाविष्ट करते हुए कुल रु. ----- (रुपए --- -----) की ब्याज सब्सिडी स्वीकृत और जारी करने के लिए आवेदन करते हैं।

क) एसईपी - I (वैयक्तिक उद्यम)

सं.	शाखा	ऋणकर्ता का नाम	ऋण खाता संख्या	ऋण राशि		ब्याज	
				स्वीकृत	वितरित	प्रभारित	दावा की गई सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	कुल						

ख) एसईपी - जी (सामूहिक उद्यम)

सं.	शाखा	समूह का नाम	ऋण खाता संख्या	ऋण राशि		ब्याज	
				स्वीकृत	वितरित	प्रभारित	दावा की गई सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

3							
	कुल						

ग) स्व-सहायता समूह (एसएचजी बैंक सहलग्नता)

सं.	शाखा	एसएचजी का नाम	ऋण खाता संख्या	ऋण राशि		ब्याज	
				स्वीकृत	वितरित	प्रभारित	दावा की गई सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	कुल						

स्थान :
तारीख और बैंक की मुहर

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)